फर्द अहकाम

मांगीलाल बनाम रमेश वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

संख्या 14/2020

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	08/12/23	पत्रावली पेश हुई. आचार संहिता ... पेण्डिंग ... (स्थगित) करने ... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/3/24 को पेश हो	
	15/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. प्रतिवादीगण 2 व 6 के कालमुकाम अनुप.। इनको बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया लेकिन उप. नहीं। अतः प्रतिवादी क्र. 2/1 लगायत 4 व 6/1 लगायत 6/5 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 8/4/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	8/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 15/4/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	15/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। पत्रावली आदेश के विचाराधीन ही पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी की प्र.प्र., नक्शा प्र.प्र. व	

फर्द अहकाम

मांगीलाल बनाम रमेश वगै०

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पचवारा रामगढ़, प

केस संख्या 14/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि
		पैरोकार सरकार (तहसीलदार) पत्रावली के साथ दस्तावेजात का अवलोकन करने पर तथा वकील उभय पक्षों की बहस को श्रवण करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल ले बाद हो तामील बाद पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी पचवारा रामगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
14/2020	28/02/2020	15/04/2024

मांगीलाल पुत्र गुल्ला जाति गुर्जर निवासी ग्राम भट्टावाला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

रमेश पुत्र बुद्धा जाति गुर्जर निवासी ग्राम भट्टावाला तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बुद्धा (मृतक)

2/1. श्रीमती संतोष पत्नी राजेन्द्र प्रसाद

2/2. बालकृष्ण पुत्र राजेन्द्र प्रसाद

2/3. नरेन्द्र पुत्र राजेन्द्र प्रसाद

जाति गुर्जर निवासी ग्राम भट्टावाला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

2/4. रेखा पुत्री राजेन्द्र प्रसाद पत्नी रामकृष्ण, जाति गुर्जर निवासी ग्राम नरपतियावास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

सुरेश पुत्र बुद्धा

मूलचन्द पुत्र चूना

ग्यारसी लाल पुत्र चूना

बाबूलाल पुत्र चूना (मृतक)

6/1. तीजा देवी पत्नी बाबूलाल

6/2. बद्रीनारायण पुत्र बाबूलाल

6/3. सोना राम पुत्र बाबूलाल

6/4. कन्हैयालाल पुत्र बाबूलाल

6/5. हंसराज पुत्र बाबूलाल

7. कैलाश पुत्र कालूराम

8. जगदीश पुत्र कालूराम

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम भट्टावाला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान ।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री राजेश कुमार पारीक – वकील प्रार्थी।
श्री सत्यपाल गुर्जर – वकील अप्रार्थी सं0 1 व 3
श्री रूपनारायण गुर्जर – वकील अप्रार्थी सं0 4, 5, 7, 8

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट
बाबत् दुरूस्ती

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पारीक के यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भट्टावाला पटवार हल्का बासना तहसील जमवारामगढ जयपुर में स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 0.5500है0, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.3700है0, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.2500, खसरा नम्बर 17 रकबा 0.8500है0, खसरा नम्बर 18 रकबा 1.3000है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.3200है0 खाता संख्या 4 एवं खसरा नम्बर 19 रकबा 0.3400है0 खाता संख्या 5 है। जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की सहखातेदारी की भूमि है। उक्त वादग्रस्त भूमियां दिनांक 16.02.1979 को सलाहाकार कमेटी की मिटींग में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी गुल्ला, चूना पुत्रान बालू एवं बुद्धा पुत्र नाथू तीनों को आवंटन की गई थी जिसके बाद तीनों के बराबर हिस्से मे गैर खातेदारी और गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई उक्त भूमि में हिस्सा 1/3 गुल्ला, हिस्सा 1/3 बुद्धा हिस्सा 1/3 चूना का रहा है प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 4 से 8 के हकपूर्वाधिकारी गुल्ला व चूना पुत्र बालू के नाम उक्त भूमियों की पासबुक भी हिस्सा 2/3 की जारी हो चुकी थी और चुना पुत्र बालू की हिस्सा 1/3 की पासबुक भी पृथक जारी हो चुकी थी परन्तु जमाबन्दी में सभी खातेदारों के पृथक हिस्से दर्ज नही किये थे दिनांक 21.11.2019 तक जमाबन्दी मे खातेदारों के पृथक–पृथक हिस्से दर्ज नही थे। दिनांक 21.11.2019 के बाद न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद भी पटवार हल्का बासना ने खातेदारों के वास्तविक हिस्से दर्ज नही करके गलत हिस्से दर्ज कर दिये जो पूर्व रिकार्ड से विपरीत है। पूर्व रिकार्ड में गुल्ला, बुद्धा, चूना के बराबर हिस्से में ही भूमि आंवटन हुई थी और सभी का हिस्सा बराबर चला आ रहा है परन्तु पटवार हल्का ने दिनांक 21.11.2019 के बाद बिना किसी विभाजन के एवं बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के पिता बुद्धा के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया जबकि उसका हिस्सा 1/3 चला आ रहा है इसी प्रकार प्रार्थी का हिस्सा 1/4 दर्ज कर दिया गया जबकि उसका हिस्सा 1/3 दर्ज चला आ रहा है एवं अप्रार्थी संख्या 4 से 8 का हिस्सा 1/3 के स्थान पर 1/4 दर्ज कर दिया गया तथा सभी खातेदारों के हिस्से पृथक दर्ज किये गये जो गलत किये गये एवं प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 4 से 8 के हिस्सा 2/3 के स्थान पर कुल 1/2 दर्ज किया गया जो बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश किये गये और बिना आधार के किये गये इस प्रकार रिकार्ड के विपरीत पटवार हल्का को गलत हिस्से जमाबन्दी में दर्ज करने का कोई क्षेत्राधिकार नही है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 से मिलीभगत कर उक्त हिस्से त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज किये गये है जो पूर्व रिकार्ड के विपरीत है जो दुरूस्तनीय है। पटवारी बिना किसी आधार के गलत हिस्से वर्तमान जमाबन्दी में पूर्व रिकार्ड के विपरीत त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज किये गये है जो दुरूस्तनीय है एवं पूर्व रिकार्ड के अनुसार वास्तविक हिस्से दर्ज कर बुद्धा के नाम हिस्सा 1/3 प्रार्थी के नाम हिस्सा 1/3 तथा हिस्सा 1/3 में अप्रार्थी संख्या 4 ता 8 के वास्तविक हिस्से दर्ज किये जाने आवश्यक है। अतः हाल खसरा नम्बर 1, 12, 13, 17, 18, 19 वर्तमान खाता संख्या 4 व 5 मे खातेदारों के दर्ज हिस्से पूर्व रिकार्ड अनुसार दुरूस्त किये जाकर प्रार्थी का हिस्सा 1/3, अप्रार्थी सं0 1 ता 3 का हिस्सा 1/12 व अप्रार्थी सं0 7 व 8 प्रत्येक का हिस्सा 1/24 दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें एवं उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने की कृपा करे।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 की ओर से वकील श्री सत्यपाल गुर्जर ने तथा अप्रार्थी सं0 4 लगातय 8 की ओर से वकील श्री रूपनारायण गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने जवाब ने देकर प्रार्थना पत्र, धारा 151 सीपीसी का पेश किया। जिस पर सुनवाई कर दिनांक 14.09.21 को पोषणिय नही होने से खारिज किया गया। जवाब बन्द किया गया। वकील अप्रार्थी सं0 4 लगायत 8 ने प्रार्थना पत्र के संबंध जवाव पेश कर सहमति प्रदान की। अप्रार्थी सं0 9 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक /रीडर/2021/84 दिनांक 6.8.21 द्वारा जवाब पेश किया । जो शामिल मिसल है। पैरोकार सरकार ने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम भट्टावाला के वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2075–78 से स्थायी के खसरा नम्बर 1, 12, 13, 17, 18 कुल किता 5 रकवा 3.32है0 व खसरा नम्बर 19 रकबा 0.34है0 कैलाश, जगदीश नारायण पिता कालूराम, ग्यारसीलाल, बाबूलाल, मूलचन्द पिता चुन्या, मांगीलाल पिता गुल्ला, बुद्धा पुत्र नाथू जाति गुर्जर के सहखातेदारी में दर्ज

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

रिकार्ड हैं । खसरा नम्बर 1, 12, 13, 17, 18 पर न्यायालय सहायक कलक्टर जमवारामगढ के प्रार्थना पत्र 256/2019 उनवान मांगीलाल बनाम रमेश व अन्य पर रिकार्ड व मौका स्थिति का यथास्थिति रखने बाबत स्थगन प्राप्त है। खसरा नम्बर 19 अब्दुल रहमान प्रकरण में प्रभावित है। आवंटन आदेश दिनांक 10.03.1976 में ग्राम बिसौरी के खसरा नम्बर 141, 142, 143 कुल रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी। इसके वर्तमान में नया राजस्व ग्राम भट्टावाला के नवीन खसरा नम्बरान 1, 12, 13, 17, 18, 19 बने है। ग्राम भट्टावाला के नामा0 संख्या 09 दिनांक 06.06.1986 को गेर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिया गया है। आंवटन आदेशानुसार उक्त रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि गुल्ला पिता बालु, चुन्या पिता बालु, बुद्धा, नाथू गुर्जर के नाम से आंवटन की गई थी। ग्राम भट्टावाला के नवीन खसरा नम्बर 1, 12, 13, 17, 18, 19 कुल रकबा 3.66है0 के साबिक खसरा नम्बर 141, 142, 143 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा है। डी. आई. एल.आ.एम. सेग्रीगेशन से पूर्व जमाबन्दी में सह खातेदारी में हिस्से दर्ज नही थे। ग्राम भट्टावाला के जमाबन्दी संवत् 2037–40 में साबिक खसरा नम्बर 141 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं0 142 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 143 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा चुन्या पुत्र कालू, बुद्धा पुत्र नाथू, गोपी, मांगीलाल पिता गुल्ला गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम भट्टावाला के जमबान्दी संवत् 2056–59 के साबिक खसरा नम्बर 141, 142, 143 कुल रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा मे कालूराम, मूलचन्द, ग्यारसीलाल, बाबूलाल पि0 चुन्या, जमना देवी बेवा चुन्या, बुद्धा पुत्र नाथू, मांगीलाल पिता गुल्ला गुर्जर सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। भट्टावाला के जमाबन्दी संवत् 2048–51 खसरा नम्बर 141, 142, 143 कुल रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा में चुन्या पिता बालू, बुद्धा पुत्र नाथू, गोपी, मांगीलाल पि0 गुल्ला गुर्जर सा0देह दर्ज रिकार्ड होकर हिस्सा बराबर प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त प्रकरण दुरूस्ती योग्य है।

दौराने वाद अप्रार्थी सं0 2 व 6 की फौत हो चुके है। अप्रार्थी सं0 2/1 लगायत 2/4 व 6/1 लगायत 6/5 वारिसान को नियमानुसार पक्षकार बनाया जाकर तलबी जारी की गई। लेकिन उप0 नही आये। अतः अप्रार्थी सं0 2/1 लगायत 2/4 व 6/1 लगायत 6/5 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया लेकिन उपस्थित नही आये। अतः अप्रार्थी सं0 2/1 लगायत 2/4 व 6/1 लगायत 6/5 के विरूद्व 15.03.24 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील उभय पक्ष व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

वकील उभय पक्षों व पैरोकार की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम भट्टावाल, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 1, 12, 13, 17, 18, 19 वर्तमान खाता सं0 4 व 5 में खातेदारों के दर्ज हिस्से पूर्व रिकार्ड अनुसार दुरूस्त किया जाकर उक्त भूमियों के रिकार्ड मे प्रार्थी का हिस्सा 1/3, अप्रार्थी सं0 1 का हिस्सा 1/9, अप्रार्थी सं0 2/1 से 2/4 का संयुक्त हिस्सा 1/9, अप्रार्थी सं0 3 का हिस्सा 1/9, अप्रार्थी सं0 4, 5, प्रत्येक का हिस्सा 1/12, अप्रार्थी सं0 6/1 लगायत 6/5 का संयुक्त हिस्सा 1/12, अप्रार्थी संख्या 7 व 8 प्रत्येक का हिस्सा 1/24 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। साथ ही खसरा नम्बर 19 के रिकार्ड में अब्दुल रहमान याचिका से प्रभावित का नोट अंकित है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 15.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ